

प्रारम्भ - 2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का विवरण	
1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, मार्ग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1414/पी0- 14 /यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनांक 07.08.2014 के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	674.89 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	संलग्न अन्य समरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थायी रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	1- आरक्षित वन भूमि - शून्य है0 2- वनपंचायत भूमि - शून्य है0 3- सिविल सोयम भूमि - शून्य है0 4- मलवा निस्तारण - 0.648 है0 5- सिविल सोयम भूमि 7.5600 कुल वनभूमि 8.2 है0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं।
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं (शून्य)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की वचनवद्धता संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
दिनांक.....	प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
स्थान.....	नाम
	मोहर


कनिष्ठ अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0


सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0


अधिशाली अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0

प्रारूप-3

भाग-ii

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

16	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
	ii) जिला	पिथौरागढ़
	iii) वन प्रभाग	पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़
	iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	राज्य सिविलभूमि 7.56 हे0 मार्ग हेतु हे0 मलवा निस्ताण हेतु 0.648 हे0 वनपंचायत भूमि — हे0
17	पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रकृति:	सिविल सोयम भूमि(वन स्वरूप) 8.2 हे0
18	आवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न है
	i) वन का प्रकार	सिविल सोयम भूमि (वन स्वरूप)
	ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	03
	iii) वनस्पतिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूचना संलग्न है।
	iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न है।
19	भूमि के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त विवरण	भू-वैज्ञानिक की आख्या/रिपोर्ट संलग्न है तथा रिपोर्ट से सहमत है।
20	वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि प्राप्त न होने के कारण वनभूमि में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग में सिविल एवं वनपंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। 500 Km
21	वन भूमि की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	संलग्न है
	i) वन भूमि के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	ii) राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आदि राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव आदि गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	iii) राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आदि राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है।	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	iv) किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आदि राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है।	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)

	लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है।	नहीं
	v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
	i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
	ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	नहीं (वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है)
24	किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
	i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं (अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है)
	ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	-
	iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	-
25	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
	i. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है। प्रतिपूरक वनीकरण सिविल सोयम भूमि संलग्नानुसार में किया जाना प्रस्तावित है।
	ii. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है।
	iii क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।
	iv रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां।
	v क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय	संलग्न है।

	उपरिव्यय :	
26	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है
27	स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सर्वकार (उपसर्कार द्वारा) को गैर शर्त का अनुमति निपटारा सिद्ध
	दिनांक 22-10-2018	हस्ताक्षर
	स्थान पियौरागढ़	नाम ग्रामीण वन अधिकारी
		मोहर पियौरागढ़ वन विभाग

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)